मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 05 अगस्त, 2025 (श्रावण 14, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1.प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री बाला बच्चन सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आसंदी से अनुरोध किया कि आज पुन: माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी के क्रमश: 24 एवं 11 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये गये हैं. जबकि आपने इस संबंध में विगत मंगलवार को ही व्यवस्था दी थी. उसके उपरांत भी आपके आदेश का पालन सरकार, मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जी नहीं कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि अभी मैं निधन का उल्लेख कर रहा हूं.

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री शिबू सोरेन, पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा राज्य सभा सदस्य के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गये.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा डॉ. हिरालाल अलावा सदस्य द्वारा भी शोकोद्गार व्यक्त किये गए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा कुछ देर मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगत के सम्मान में पूर्वाह्न 11.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 11. 23 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

विधान सभा के समवेत होंने पर श्री बाला बच्चन सदस्य ने पुन: मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में आसंदी का ध्यान आकर्षित किया. सभापति महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि बाला बच्चन जी आप वरिष्ठ सदस्य है, नियमों से परिचित है. प्रश्न काल में पाईंट ऑफ आर्डर नहीं आता है. कृपया सदस्यों के प्रश्न आने दे. विशेष तौर से आज हमारी बहनों के प्रश्नों का दिन है तो बहनों के दिन में कटौती न करें.

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,6,7 एवं 8) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 121 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 162 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

5. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज शून्यकाल की सूचनाएं लगभग 20 है और यह कार्य सूची के अंत में भोजनावकाश के बाद ली जायेगी.

6. विशेष उल्लेख

श्री गिरीश गौतम, सदस्य द्वारा आसंदी का ध्यान आकर्षित करते हुये उल्लेख किया कि आपने पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व अध्यक्षों की जन्म जयंती मनाने की एक परंपरा का निर्णय लिया है. इसके लिये मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुये यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष को भी सम्मिलित किया जाये. सदस्य श्री गोपाल भार्गव ने अपने विचार रखते हुये कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष को भी सम्मान मिले यह हम लोगों का ही नहीं बल्कि हमारी परंपराओं और सदन का भी सम्मान होगा. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं आपकी भावनाओं से अवगत हुआ.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2015-16 पटल पर रखे गए.

(2) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री पर्यावरण** द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 पटल पर रखा गया.

8. बधाई एवं शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा श्री शरद जुगलाल कोल एवं श्री बालकृष्ण पाटीदार, सदस्यगण को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

9. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री लखन घनघोरिया, सदस्य** ने जबलपुर में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति एवं अनियमितता होने की ओर उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया. श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री राजेन्द्र शुक्ल ने चर्चा का उत्तर दिया.

10. बहिर्गमन

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

11. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''आज का दिन निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है. 5 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू काश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था. इस निर्णय के बाद जम्मू काश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान खत्म हो गए थे, जम्मू काश्मीर, दो केन्द्र शासित प्रदेशों, जम्मू काश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया था, उसके ठीक एक साल बाद 5 अगस्त 2020 को जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी का दंश झेल रही थी, उसी समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अयोध्या में 492 साल से चले आ रहे राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का शिलान्यास किया और आज 5 अगस्त का दिन है जो हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र जी का भी जन्म दिन है, हम उन्हें भी स्मरण करते हैं.''

12. ध्यानाकर्षण(क्रमश :)

(2) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सर्वश्री पंकज उपाध्याय, रमेश प्रसाद खटीक, सदस्यगण** ने ग्वालियर किले में होटल खोलने से उसकी ऐतिहासिक पहचान से छेड़-छाड़ किये जाने की ओर राज्य मंत्री, पर्यटन का ध्यान आकर्षित किया. श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ने चर्चा का उत्तर दिया.

उक्त ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सरकार को यह सुझाव दिया गया कि जिस प्रकार कर्ण महल, जौहर महल इन सबके विकास को सम्मिलित किया गया है उसी प्रकार भीम सिंह राणा जी की छत्री के लिए भी सरकार अगर प्रयास करे तो उचित और ठीक रहेगा, वह जनभावनाओं से जुडा हुआ विषय है.

13. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) **श्री भंवर सिंह शेखावत, सभापति** ने लोक लेखा समिति का छियालीसवां से सड़सठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) **श्री अजय विश्नोई, सभापति** ने प्राक्कलन समिति का सप्तम् प्रतिवेदन एवं कार्यान्वयन से संबंधित षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) **श्री ओम प्रकाश धुर्वे, सभापति** ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयन से संबंधित तृतीय, चतुर्थ, पंचम् एवं षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

14. बधाई

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि यह सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि लगभग सभी समितियों ने निश्चित रूप से बहुत सक्रियता से काम किया है और पुरानी काफी पेंडेंसी को पूरा किया. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय जी अभी आश्वासन समिति का जिक्र कर रहे थे. मैं समझता हूं कि लगभग 13 हजार आश्वासन पेंडिंग थे, जिनमें से साढ़े नौ हजार का निराकरण इस साल में किया गया है. मैं इसके लिए सभी महानुभाओं को बधाई देता हूं.

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 6 में क्रमांक 1 से 77 पर जिन याचिकाओं का उल्लेख किया गया है उनको प्रस्तुत किया हुआ माना गया तद्नुसार निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) **श्री अनिल जैन (जिला-**निवाड़ी)
(2) **श्री विजय रेवनाथ चौरे (जिला-**छिन्दवाड़ा)
(3) **श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-**सिवनी)
(4) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-**कटनी)
(5) **सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत (जिला-**छतरपुर)
(6) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-**पन्ना)
(7) **श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-**दमोह)
(8) **श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-**छिन्दवाड़ा)
(9) **श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-**खरगोन)
(10) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला-**दतिया)
(11) **श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-**पन्ना)
(12) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**टीकमगढ़)
(13) **श्री मथुरालाल डामर (जिला-**रतलाम)
(14) **श्री अभय मिश्रा (जिला-**रीवा)
(15) **श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-**गुना)
(16) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना)
(17) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-**खरगोन)
(18) **श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-**बालाघाट)
(19) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-**धार)

(20) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(21) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(22) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
(23) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान (जिला-रतलाम)
(24) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-मुरैना)
(25) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(26) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)
(27) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(28) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(29) श्री मोंटू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(30) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(31) श्री महेश परमार (जिला-उज्जैन)
(32) श्री भैरो सिंह बापू (जिला-आगर-मालवा)
(33) श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-जबलपुर)
(34) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(35) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(36) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(37) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(38) श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया (जिला-नरसिंहपुर)
(39) श्री मोहन शर्मा (जिला-राजगढ़)
(40) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(41) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(42) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना)
(43) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)
(44) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(45) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(46) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(47) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(48) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे (जिला-खण्डवा)
(49) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(50) श्री बाला बच्चन (जिला-बड़वानी)
(51) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
(52) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(53) श्री ऋषि अग्रवाल (जिला-गुना)
(54) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी (जिला-अशोकनगर)
(55) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-बालाघाट)
(56) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-छतरपुर)
(57) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(58) इंजीनियर प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(59) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(60) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(61) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(62) श्री बृजबिहारी पटैरिया (जिला-सागर)
(63) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)
(64) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(65) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)
(66) श्री अरविन्द पटैरिया (जिला-छतरपुर)
(67) श्री राजकुमार कर्राहे (जिला-बालाघाट)
(68) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(69) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(70) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)

(71) **डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-**हरदा**)**
(72) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-**जबलपुर**)**
(73) **श्री मुकेश टंडन (जिला-**विदिशा**)**
(74) **श्री दिव्यराज सिंह (जिला-**रीवा**)**
(75) **कुँवर अभिजीत शाह (जिला-**हरदा**)**
(76) **श्री देवेन्द्र पटेल (जिला-**रायसेन**)**
(77) **इंजीनियर हरिबाबू राय (जिला-**अशोकनगर**)**

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री** ने मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) को पुर:स्थापित किया.
(2) **श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री** ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) को पुर:स्थापित किया.
(3) **श्री गौतम टेटवाल, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री** ने मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) को पुर:स्थापित किया.
(4) **श्री गौतम टेटवाल, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री** ने मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (निरसन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) को पुर:स्थापित किया.
(5) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने विधेयक के संबंध में संक्षेप अपने विचार रखे.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री जयवर्द्धन सिंह

17. शासकीय वक्तव्य

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में तेजी से विकसित होते औद्योगिक परिदृश्य के संबंध में वक्तव्य दिया.

18. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य एवं उस पर नेता प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

19. शासकीय वक्तव्य (क्रमश:)

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया व्यक्त की.

(अपराह्न 2.25 बजे से 3.48 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

20. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

2. श्री रामेश्वर शर्मा
3. श्री कैलाश कुशवाहा
4. श्री सुरेन्द्र पटवा
5. डॉ. हिरालाल अलावा

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

6. श्री महेश परमार
7. डॉ. सीतासरन शर्मा
8. श्री फूलसिंह बरैया
9. श्री ओमप्रकाश सखलेचा
10. श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
11. श्री पंकज उपाध्याय
12. श्री महेन्द्र नागेश
13. श्री अनिल जैन कालूहेडा
14. श्री ओमकार सिंह मरकाम
15. डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान

21. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

16. श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

तदुपरांत **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

खण्ड 2 से 64 तक इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि कारखाना (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) पर विचार किया जाय.
श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने विधेयक के संबंध में संक्षेप अपने विचार रखे.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) डॉ. हिरालाल अलावा
(2) श्री राजेन्द्र मेश्राम
(3) श्री रामनिवास शाह

तदुपरांत **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

खण्ड 2 से 7 तक इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कारखाना (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(2) श्री रामनिवास शाह

तदुपरांत **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

खण्ड 2,3 तथा 4 तक इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

8. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार : -

(1)	श्री भैरो सिंह 'बापू', सदस्य ने जिला आगर मालवा में फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलने के संबंध में।
(2)	श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य ने मनरेगा योजना के अंतर्गत विकास कार्यों का ठप्प होना।
(3)	श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी के अतंर्गत बैराड़ कस्बे में एक युवक को सार्वजनिक रूप से अपमानित कराने वालो के विरूद्ध कार्यवाही बावत् ।
(4)	श्री सुरेश राजे, सदस्य ने किसानों को अति वर्षा से राहत एवं रासायनिक खाद उपलब्ध कराने एवं वसूली स्थगित करने बावत्।
(5)	श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य ने विधानसभा भीकनगांव अंतर्गत आदिवासी बालक/ बालिका छात्रावासों में सीट वृद्धि किये जाने बावत्।
(6)	श्री नारायण सिंह 'पट्टा', सदस्य ने मुख्यमंत्री जन सेवा मित्रों की समस्याओं के संबंध में।
(7)	श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के गरीब भूमिहीन परिवारों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा धारण अधिकार के तहत पट्टे दिये जाना।
(8)	श्री महेश परमार, सदस्य ने उज्जैन नगर निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया में की गई अनियमितता के संबंध में।
(9)	श्री प्रीतम लोधी, सदस्य ने शिवपुरी जिले को अत्याधिक वर्षा के कारण आपदा घोषित करने के संबंध में।
(10)	श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य ने जर्जर भवनों के कारण उत्पन्न स्थिति । **(माननीय सदस्य द्वारा उनकी ध्यानाकर्षण की सूचना को शून्यकाल में परिवर्तित कर दिए जाने से पढा नहीं गया एवं उनके द्वारा सदन को यह जानकारी भी दी गई कि वे कल एक दिन का उपवास करके गर्भ-गृह में धरने पर बैठेंगे)**

(11)	श्री महेन्द्र नागेश, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले में जल संसाधन विभाग के कार्यो के संचालन एवं निर्माण परियोजनाओं से संबंधित प्रशासनिक विसंगतियों के संबंध में।
(12)	डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने हरदा में पुलिस प्रशासन द्वारा करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर की गई कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति।
(13)	श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र सिंरोज में स्वीकृत संस्कृत विद्यालय के भवन एवं छात्रावास का जल्द निर्माण कराया जाना।
(14)	श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य ने देवास जिले के अंतर्गत हरदा से कन्नौद को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण अधूरा होने से उत्पन्न स्थिति।
(15)	श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य ने तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया में आयोजित महिला सम्मेलन एवं रोजगार दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित हितग्राहियों की बस दुर्घटना में मृतकों एवं घायलों को मुआवजा न मिल पाना।
(16)	श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य ने दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रिछारी में हाई स्कूल खोला जाना।
(17)	श्री राजन मण्डलोई, सदस्य ने बड़वानी जिले के अतंर्गत सरदार सरोवर बांध परियोजना से विस्थापित/प्रभावित परिवारों की शिकायतों/समस्याओं का समाधान न हो पाना।
(18)	श्री पंकल उपाध्याय, सदस्य ने अतिवृष्टि के कारण मुरैना जिले में आई बाढ से जलमग्न गांवो में रहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया जाना।
	संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई.

अपराह्न 7:20 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 (श्रावण 15, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 5 अगस्त, 2025